रजिस्ट्री स. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 533] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 1985/कार्तिक 16, 1907
No. 533] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 1985/KARTIKA 16, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1985

आदेश

का. आ. 813(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "नदवात-उल-उलेमा, टेगौर मार्ग, पो. ओ बाक्स-93, लखनऊ-226007" (जिसके अन्तर्गत इसकी शाखाएं और इकाइयां भी

है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "राजनैतिक प्रकृति का संगठन जो राजनैतिक दल नहीं है" के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं II/21022/6(5)85 एफ सी-आर ए-II]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 5th November, 1985

ORDER

S.O. 813(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976), the Central Government hereby specifies "Nadwat-Ul-Ulama, Tagore Marg, P.O. Box-93, Lucknow-226007" (including its branches and Units) to be an "organisation of a political nature, not being a political party", for the purposes of the said Act.

[No. II/21022/6(5)/85 FC RA-II]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1985